



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]
No. 89]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2012/चैत्र 28, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2012/CHAITRA 28, 1934

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2012

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2012

सं. भाराराप्रा/11011/17/2012-एच.आर. 1 (खण्ड 1).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(i) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2012 कहलाएंगे ।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 12 में, खण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं (सड़क) के अधिकारियों के चयन के मामले में, रिक्तियों के विज्ञापन देने और छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन करने की अपेक्षा को समाप्त किया जाएगा ।”

3. मूल विनियमावली की अनुसूची में, निम्नलिखित पद के लिए पात्रता के मानदण्ड और अर्हताएं निर्धारित करते हुए अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“प्रबंधक (इलेक्ट्रानिकी)”

राजीव यादव, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/12-असाधारण]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर- 12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या भारराप्रा/11011/09/2009-एचआर. II, तारीख 30 नवम्बर, 2011 द्वारा किया गया तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 5 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित किया गया था।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिकी)	1 (2012)	समूह-क	पीबी-3 (15,600-39,100 रुपये), श्रेणी वेतन 6,600 रुपये सहित	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा
आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा के मामले में		
6	7	8		
अधिकतम 40 वर्ष	<p>शैक्षिक अर्हता : अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री। वांछनीय : (i) इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा; अथवा (ii) कंप्यूटर के ज्ञान सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डिग्री।</p> <p>अनुभव : अनिवार्य : राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रॉनिकी और संचार/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों/परियोजनाओं के काम का कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय : इलेक्ट्रॉनिकी और संचार/सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण, स्थापना करने/उन्हें चालू करने का ज्ञान।</p>	<p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनु-संधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा अर्द्ध-सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा द्वारा :</p> <p>(i) जो वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 6600 रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) में नियमित आधार पर, सदृश पद पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जो वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 5400 रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) वाले पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि : सामान्यतया 3 वर्ष, किन्तु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसे बढ़ाया/घटाया जा सकता है।</p>		

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2012

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2012

No. NHAI/11011/17/2012-HR. I (Vol. I).—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely :—

1. **Short title and Commencement :—**(i) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2012.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 12 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), after clause (4), the following clause shall be inserted, namely :—

“(5) In case of selection of officers belonging to Central Engineering Services (Roads) of Ministry of Road Transport & Highways, the requirement to advertise the vacancies and screening of applications through the Screening Committee shall be dispensed with.”

3. In the Schedule to the principal regulations, the Schedule prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following post shall be inserted, namely :—

“Manager (Electronics)”

RAJIVYADAV, Member (Administration)

[ADVT. III/4/122/12-Exty.]

Foot note : The principal regulations were published vide notification No. NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No. NHAI/11011/09/2009-HR. II, dated 30th November, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4, dated the 5th December, 2011.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Electronics)	1 (2012)	Group-A	PB-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay Rs. 6,600	Deputation/Direct Recruitment/Contract
Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational and other qualifications required		In case of Deputation/Direct Recruitment/Contract	
6	7		8	
40 years	Educational Qualification : Essential : A Degree in Electronics and Communications Engineering from a recognized University.		By Deputation/direct recruitment/contract from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public	

6

7

8

Desirable :

(i) Post Graduate Degree/Diploma in Electronics Engineering;

OR

(ii) Management Degree from a recognized University with knowledge of Computers.

Experience :**Essential :** Should have at least five years' experience in dealing with works/projects related to Electronics and Communication/Information Technology in State/Central Government Department/Public Sector Undertaking/Autonomous Body.**Desirable :** Knowledge of Testing, Installation/Commissioning of Electronics and Communication/Information Technology systems.

Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies :

(i) holding analogous post in the pay scale of PB-3 (Rs. 15600-39100) with Grade pay Rs. 6600 (in CDA pattern) on Regular basis;

OR

(ii) with three years of regular service in the post carrying the pay scale of PB-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay Rs. 5400 (in CDA pattern); and

Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7.

Period of deputation : Normally 3 years but may be extended/curtailed with the approval of Competent Authority.